





फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

केदारसिंह विपक्षी अंबरसिंह
 मुकद्मा वाद पत्रावली संख्या 17/23 सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>13/01/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. (नवाक देवान) 1, 6 के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>वद. अहकाम नं. 17/23</u> भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>25/02/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  SDO मावली </p> <p>25/2/25 पत्रावली पेश हुई। अधि. उपखण्ड. उप. 1, 6 के अधि. द्वारा पत्रावली हेतु मना किया गया। उप. 1, 6 को फिर से मावली हिलवार्ड गई। अनुपस्थित रहे। अतः उप. 1, 6 के विरुद्ध एक वरक कार्रवाई अफिल में लाई जाती है। पत्रावली वरक सहायवादी दिनांक 21/4/25 को पेश हो।</p> <p>21/4/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. सहायवादी के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>वद. अहकाम नं. 22/5/25</u> भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>22/5/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  SDO मावली </p> <p>22/5/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. सहायवादी के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>वद. अहकाम नं. 11/7/25</u> भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>11/7/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (SDO) मावली </p>	<p style="text-align: center;">  </p>

11/7/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप-सिद्धि (सिद्धि)
के लिये मौका चाहते हैं। अतः 22/8/25
परिसर दिया जाकर पत्रावली दि. 22/8/25
को पेश हो।

(SDO) मन्वली

22/8/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
वहिकार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे हैं। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 9/11/25 को पेश हो।

DI°
2

9/11/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
वहिकार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे हैं। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 27/11/25 को पेश हो।

DI°
2

27/11/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय स्वयं
वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी
को बार-बार आवाने दिलवाई गई। समय साँय
5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता
अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय
स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद
अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली फंसल सुमार होकर नम्बर से कम
हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मन्वली